

1	विभाग का नाम	लघु सिंचाई
2	योजना का नाम	डा० राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना (सामान्य)
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह गठित किया जाता है। समूह के न्यूनतम 10 सदस्यों में से आधे से अधिक कृषक सामान्य जाति लघु/सीमान्त श्रेणी के होने चाहिये। समूह के सदस्यों की कुल जोत न्यूनतम 10 हेक्टेअर जिसमें से लघु एवं सीमान्त सदस्यों की जोत कुल जोत की 25 प्रतिशत से अधिक होगी। उक्त सदस्यों में से एक को समिति का अध्यक्ष तथा एक को समिति का सचिव बनाया जाता है। उक्त योजना पर रु० 3.92 लाख प्रति नलकूप अनुदान अनुमन्य है।
4	पत्रता की अर्हता	समस्त श्रेणी के कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से खसरा व खतौनी की नकल सहित आवेदन
6	लिंक वेबसाइट	<a href="http://minorirrigationup.gov.in/">http://minorirrigationup.gov.in/</a>
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अथवा अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।